

REC Limited Media Coverage 08 May 2024

CMD Interview with Zee Business Transcription



एंकर -

सुखियों में जो कंपनी है वो है आरईसी, 1969 में कंपनी बनी थी, ऊर्जा मंत्रालय के तहत और महारत्न एनबीएफसी कंपनी है। राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों और प्राइवेट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स बनाने के लिए कर्ज देने का करती है कारोबार। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवांगन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप मणिपुर कैडर के 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एनआईटी भोपाल से सर ने बीई की डिग्री हासिल की, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात है? आईआईटी दिल्ली से आपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और आरईसी से जुड़ने से पहले सर एनर्जी मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो यानी कि काफी कुछ लंबा गहरा अनुभव इस पूरी स्पेस का सर रखते हैं सर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुडमॉर्निंग। सवाल और आपको जो आमंत्रित किया है आपको पता है टॉक ऑफ द टाउन। कल जो थी कि आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस आने की बात कही जा रही है। अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है कि उसमें आरबीआई यह चाहता है कि भाई जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसके लिए 5 परसेंट की प्रोविजनिंग की जाए। बताएं सर, इन नियमों को कैसे देखते हैं? क्या आपकी कंपनी पर लागू होंगे? होंगे तो किस तरह से?

सीएमडी -

आपने सही कहा कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस है जो आरबीआई ने जारी किया है और सभी स्टोक होल्डर्स ने 15 जून तक कमेंट्स मांगे हैं। स्टोक होल्डर्स से कमेंट आने बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। आरईसी कंसर्न है क्योंकि आरईसी, एनबीएफसी और हम लोग इंडस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो जो उसका एडिशनल प्रोविजनिंग करना होगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आपको 5% की एडिशनल प्रोविजनिंग करनी है। उसमें जो एडिशनल प्रोविजनिंग होगी और जोकि इनकम रिकॉगनिशन असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के तहत वह एनबीएफसी में जो इंडेक्स नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, वह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका जो एप्रोप्रिएशन होगा, वह बाई इम्पावरमेंट रिजर्व होगा। इन पेमेंट रिजर्व से क्या होगा कि हमारे टीयर वन कैपिटल में थोड़ी सा इफेक्ट होगा, परंतु चूंकि हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफी पर्याप्त है, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज ऑन 31 मार्च 2024 तक लगभग 25.82% है, जो कि आरबीआई नॉर्म के हिसाब से 15% होनी चाहिए। तो हमारे पास काफी कुशन अवेलेबल है, इसलिए हमारे आरईसी को वह ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी यह ड्राफ्ट गाइडलाइंस।

एंकर -

अच्छा तो दो चीजें। इसमें पहली चीज तो आपने एकदम साफ कहा कि मुनाफे के लेवल पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। करेक्ट, जो मुनाफा अभी भी आ रहा, वह आता रहेगा। राइट प्रोविजनिंग क्योंकि आपको थोड़ी एडिशनल करनी पड़ सकती, लेकिन उसमें भी आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15 परसेंट के

मुकाबले में 26 पर्सेंट के आसपास है। तो वहां पर भी आपको पर्याप्त कुशन है, ऐसा नहीं कि मुझे कैपिटल की एक्सट्रा जरूरत है। कोई आपको फंड रेज करने की इस पर्पज से जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, डेट तो आप जितने लोन पहले दे रहे हैं, उतनी आगे भी दे सकते हैं। अपनी इस बैलेंसशीट पर इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।

सीएमडी -

इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 17% बढ़ा है। यह ग्रोथ करीब 15 से 20% के बीच अगले पांच वर्षों में मॉटेन कर पाएंगे।

एंकर -

अब दूसरी चीज सर, आपने कहा थोड़ा सा मामूली सा कोई फर्क पड़ सकता है तो वह मामूली सा फर्क कहां और किस तरह से पड़ सकता है, वह जरा समझाए।

सीएमडी -

इसे टीयर वन कैपिटल में थोड़ी कमी आ सकती है तो टीयर वन कैपिटल काफी कुशन अवलेबल है। किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पर हम लोग थर्टी परसेंट टीयर वन कैपिटल का सैंक्शन कर सकते हैं। तो भी हमारा यह थर्टी परसेंट ऑफ टीयर वन कैपिटल लगभग 20,000 करोड़ है। तो यह हो सकता है कि 20,000 करोड़ से घटकर 19,000 करोड़ तक आ जाए तो उसे हम लोग अभी भी हमारी कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं हैं जो कि 18-19,000 करोड़ के लगभग है। हमारे मैक्जिमम प्रोजेक्ट साइज लगभग 15,000 करोड़ तक रहता है। इसलिए हमारे पास एफिशिएंट कुशन है। हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी। स्वरस, प्रोजेक्ट, फाइनेंस सैंक्शन करने की बात है।

एंकर -

तो फिर तो सर उसमें भी दिक्कत नहीं। 20,000 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट में समस्या है तो 15,000 करोड़ के ऊपर हार्डली दे रहे हैं। और अगर 20,000 करोड़ का हुआ भी तो हजार करोड़ से ज्यादा का इंपैक्ट उस पर नहीं है। राइट सर तो वह तो बहुत ही छोटा है। इस हिसाब से राइट तो आई थिंक। फिर इसका मतलब क्या यह समझे कि कल बाजार को समझ ही नहीं आए? एकचुअली की आरईसी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ओवर रिएक्शन हो गया।

सीएमडी -

हां, हमें यही लगता है क्योंकि इनिशियल रिएक्शन लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं था। अब काफी डीटेल ड्राफ्ट गाइडलाइंस है। जैसे-जैसे लोग उसको स्टडी करेंगे तो उन्हें पिकचर क्लियर होगी।

एंकर -

बिल्कुल ठीक बात। अब आइए दो-तीन चीजें जो मैं समझना चाहता हूं। पहली चीज आपने ऑलरेडी कहा है कि आरईसी जीरो एनपीए की तरफ बढ़ रही है। जीरो एनपीए की तरफ राइट। इस गाइडलाइन से तो

इनफैक्ट ऐसे देखा जाए तो आपकी एसेट क्वालिटी और मजबूत होगी। राइट तो क्या जीरो एनपीए की तरफ बढ़ने का आरईसी का टारगेट इंटैक्ट है और कब तक?

सीएमडी -

हमारा जीरो एनपीए बनने का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष में है। क्योंकि हमारे जो अधिकतर असेट्स हैं वह रिजॉल्यूशन की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो सात असेट थे जो हमारे, जिसके लिए हमने 100 परसेंट प्रोविजनिंग की है, वह लिक्विडेशन की ओर जा रहे हैं तो वह तो रिजॉल्व हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो ऑपरेटिंग असेट में हैं, उस पर हमने लगभग 68 परसेंट का प्रोविजनिंग करके रखा है। तो जो ऑपरेटिंग असेट में हम देख रहे हैं कि जो एनसीएलटी के माध्यम से रिजॉल्यूशन हो रहा है, उसमें काफी हमें राइट बैक मिल रहे हैं। हमारा हेयरकट जो 20 से 30% ज्यादा नहीं हो रहा है तो इन जो ऑपरेटिंग असेट हैं जैसे कि केएसके महानदी हो गया, स्टीनर प्रोजेक्ट प्लांट है जो नासिक में है। इन सब में हमें राइट बैक मिलेगा जो राइट बैक के का जो कुल राशि हमने अनुमान लगाया लगभग 1500 से 2000 करोड़ का हमें राइट बैक मिलने की संभावना इस वित्तीय वर्ष में है, और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक। हमारा प्रयत्न है कि हम जीरो एनपीए हो जाए।

एंकर -

1500 से 2 हजार करोड़ का राइट बैक मिलेगा। वह सीधे-सीधे आपके मुनाफे में जुड़ेगा। क्योंकि मैं आपकी कंपनी को काफी क्लोज ट्रैक करता हूँ। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। फिर मैं आपकी कंपनी की। अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए स्टैंडर्ड 20 परसेंट के आसपास की ग्रोथ समझूँ और यही आपके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी रहे। क्या इस बात के चांसेज हैं? आप यह अचीव कर सकते हैं आसानी से। एवं यह नए नॉर्मर्स आने के बावजूद भी।

सीएमडी -

हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20 से ज्यादा होगा और 20-22% तक होगा। परंतु असेट अंडर मैनेजमेंट जो हमने पिछले साल 17% अचीव किया था, 17% तो हमने होल्ड करेंगे और बेहतर। यदि हमें और प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें बस जैसे यह प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन पर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन फास्ट होता है तो हमारा लोन बुक और ज्यादा 70% से ज्यादा बढ़कर 20% की दर से बढ़ेगा।

एंकर -

एक और चीज, आप आरबीआई को अपना सुझाव 15 जून तक भेज सकते हैं, तो आप क्या भेजेंगे आपको आपके हिसाब से। न्यूट्रल है, करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंपनी का क्या सुझाव होगा आरबीआई को?

सीएमडी -

इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन की बात है? डेट ऑफ कमिटमेंट और कमर्शियल ऑपरेशन। उसके बारे में थोड़ा

सा विरोधाभास है, लोग अलग-अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें डेट ऑफ कमेंट्स और कमर्शियल ऑपरेशन डिलेड है, क्या उन्हीं के लिए ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी या इनफॉर्मल? सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लागू होंगी। इस पर हम लोग क्लैरिफिकेशन मांगना चाहेंगे आरबीआई से। तो ये जो आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया है, ये इस सेक्टर को इंफ्रा सेक्टर को सपोर्ट ही करेगा। जो एडिशनल प्रोविजनिंग करना है। अंडर कंस्ट्रक्शन रेट की और क्योंकि कई प्रोजेक्ट जो डिलेड रहते हैं वो सब में अच्छे से क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत थी और इस गाइडलाइन माध्यम से इसमें हमें सहायता मिलेगी।

एंकर -

सर इनडायरेक्टली ये समझना ठीक है कि आरबीआई का इरादा कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोविजनिंग टाइट करने का नहीं है, राइट, आरबीआई ये चाहता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में डिले हो रही है, वहां प्रोविजनिंग ज्यादा हो। और क्या आप उम्मीद करते हैं? फिर कि ये क्लैरिटी फाइनल गाइडलाइन्स में आ जाएगी?

सीएमडी -

हम यही संभावना व्यक्त करते हैं और हम लोग अपने जो पीयर ग्रुप हैं, सबसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आफ्टर कंसल्टेशन में ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स हम अपना डिटेल कमेंट्स आरबीआई को देंगे ताकि उससे इनफॉर्म डिसिजन हो सके।

एंकर -

तो बिल्कुल आपसे विदा लूं। उससे पहले मैं जो संभव करना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए और आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। पहली चीज तो ये कि ये सारी, ड्राफ्ट गाइडलाइन्स हैं, अभी तो ड्राफ्ट है। इनको लागू होने में लंबा वक्त लगेगा। फाइनल गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद लागू होंगे। दूसरा, अगर हुई तो भी आरईसी के लिए प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आरईसी के लिए बैलेंसशीट पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ऑलरेडी इंडेक्स के अंतर्गत इसकी प्रोविजनिंग कर रहे हैं। आपको एडिशनल प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास पर्याप्त कैपिटल है और 20,000 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स आपके पास कोई है नहीं, तो आपके लिए कोई खास असर किसी तरह का पड़ने वाला नहीं, यह बात सही है?

सीएमडी -

राइट, आपने बहुत सही कहा और ये एक चीज और भी गौर करने की है कि जो 5% एडिशनल प्रोविजनिंग है वह ग्रेजुएट है। 31 मार्च 2025 को 2% एडिशनल प्रोविजनिंग करनी है। अगले साल 31 मार्च 2026 को थ्री पॉइंट फाइव करना है और 31 मार्च 2027 तक 5% प्रोविजनिंग होगी। तो ये पेड टू है। ये जो पाँच पर्सेंट का एडिशनल प्रोविजनिंग करने का प्रस्ताव दिया है आरबीआई ने।

एंकर -

आरबीआई ने और अगर सर फर्ज करें कि आरबीआई जब फाइनल गाइडलाइंस है, और उस फाइनल गाइडलाइंस में ये कह दे कि ये सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट के लिए है, सारे प्रोजेक्ट के लिए नहीं, तब तो बात ही खत्म?

सीएमडी -

जी, हमारा भी यही सुझाव रहेगा, जो प्रोजेक्ट सही ढंग से एक्जीक्यूट हुए, बिफोर टाइम एक्जीक्यूट हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, आरईसी का ज्यादा ध्यान रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पर है, जो एनर्जी फाइनेंसिंग में है जिसमें आपने देखा होगा कि 533% की ग्रोथ इस साल हुई है, हमने 136,000 करोड़ सेंक्शन किया था, जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हमने किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट एक्शन काफी फास्ट हो रहा है और समय से हो रहा है, और कुछ-कुछ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट हैं, तो वो एकदम सही समय पर आ रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट डिलेड है उसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस काफी उपयोगी रहेगा। एनर्जी फाइनेंसिंग में है जिसमें आपने देखा होगा कि 533% की ग्रोथ इस साल, हमने 136,000 करोड़ सेंक्शन किया था, जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हमने किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट एक्शन काफी फास्ट हो रहा है और समय से हो रहा है, और कुछ-कुछ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट हैं, तो वो एकदम सही समय पर आ रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट डिलेड है उसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस काफी उपयोगी रहेगा।
